अध्ययन

प्रगतिषील बिहार: निवेष के असीमित अवसर उपलब्ध

अक्टूबर 2023

MSME EXPORT PROMOTION COUNCIL

अध्ययन

प्रगतिषील बिहार: निवेष के असीमित अवसर उपलब्ध

अक्टूबर 2023

MSME Export Promotion Council
MSME House, Pocket 9, Sector C, Vasant Kunj, New Delhi 110070
Phone: 011 45660687, 46534832; Email: info@msmeepc.com
Web: www.msmeepc.com

हम, एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में, सभी हितधारकों के समक्ष नवीनतम अध्ययन पत्र रखते हुए प्रसन्न हैं, जिसे अनुसंधान विभाग ने कंफेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर ''प्रगतिशील बिहार असीमित अवसर प्रदान करता है'' विशय पर प्रकाशित किया है। निवेशक"

पहले सामने आए अध्ययनों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और निवेशकों, अनुसंधान फर्मों, सरकारी अधि ाकारियों, मीडिया और स्टार्ट–अप से सराहना मिली है। हमें उम्मीद है कि झारखंड अध्ययन भी उतना ही उपयोगी होगा और अपने उद्देश्य को पूरा करेगा।

मैं अनुसंधान दल के प्रयासों की सराहना करता हूं। और अध्ययन की बड़ी सफलता की कामना करता हूं।

डॉ डी एस रावत
अध्यक्ष, एमएसएमई ईपीसी

विषय

बिहार 9

कृषि 10

कुल उत्पादनः सभी मौसमय खाद्यान्न (000 टन) 11

कुल उत्पादन (सभी मौसम) गैर–खाद्य फसल तिलहन, जूट और मेस्ता 11

सभी मौसमों में मसालों और मसालों की गैर–खाद्य फसलों का कुल उत्पादन 000 टन 12

जैविक खेती भारत 12

जैविक बिहार 13

सकल राज्य मूल्यवर्धित (जीएसवीए) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान कीमतों परः आधार वर्ष 2011–12 14

बैंक समूह द्वारा बैंकिंग कार्यालयों की संख्याः संख्याएं 14

आर्थिक गतिविधि द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण करोड़ रूपये 15

पर्यटन क्षेत्र 16

ग्रामीण पर्यटन 19

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षणः कारखानों की संख्याः सभी उद्योग 20

सभी परियोजनाओं द्वारा निवेश रु 20

सरकार द्वारा निवेश रु 21

निजी क्षेत्र द्वारा लाखों रुपये का निवेश 21

भारतीय रुपये में एफडीआई का प्रवाह 22

कॉर्पोरेट मंत्रालय के साथ पंजीकृत कंपनियों की उत्कृश्ट संख्या मामलेः संख्याएँ 22

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नव पंजीकृत कंपनियों की संख्या 22

प्रमुख वस्तुओं का भारतीय रुपये में निर्यात (डीजीसीआईएंडएस) करोड़ रुपये 23

जनसंख्या और घरों की विशेषताएंः कुल (1.3.2022 को) 25

एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलें 26

कंफेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज 27

बिहार

बिहार, पूर्वी भारत का राज्य, उत्तर में नेपाल और पूर्वोत्तर में भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। राज्य प्राकृतिक रूप से गंगा (गंगा) नदी द्वारा दो क्षेत्रों में विभाजित है – उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान, जो मिलकर मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा बनते हैं। चरम उत्तर पश्चिम में हिमालय की तलहटी को छोड़कर, उत्तर बिहार का मैदान एक समतल जलोढ़ क्षेत्र है, जो समुद्र तल से 250 फीट से भी कम है और बाढ़ के लिए प्रवण है। दक्षिण बिहार के मैदान की भूमि अपने उत्तरी समकक्ष की तुलना में अधिक विविध है, जिसमें कई पहाड़ियाँ जलोढ़ स्तर से उठती हैं। सोन के अपवाद के साथ दक्षिणी नदियाँ सभी छोटी हैंय उनके पानी को सिंचाई चौनलों में मोड़ दिया जाता है।

तीन अच्छी तरह से परिभाषित मौसम हैंः गर्म मौसम का मौसम, जो मार्च से मध्य जून तक रहता हैय दक्षिण–पश्चिम मानसून की बारिश का मौसम, मध्य जून से अक्टूबर तकय और शीत–मौसम का मौसम, नवंबर से फरवरी तक।

बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021–22 में एक मजबूत रिकवरी दर्ज की, क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ने स्थिर कीमतों पर 10.98 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो इसी अवधि के दौरान 8.68 प्रतिशत की राष्ट्रीय विकास दर से बहुत अधिक थी। आंध्र प्रदेश (11.4 प्रतिशत) और राजस्थान (11.04 प्रतिशत) के बाद देश के शीर्ष पांच सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार की 10.98 प्रतिशत की वृद्धि तीसरी है। जीएसडीपी की वृद्धि के लिए दो सबसे अधिक आयातक पशुधन और मछली पकड़ने और जलीय कृषि रहे हैं, जिन्होंने क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सेवा आधारित है, जिसमें कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कृषि

बिहार में कृषि धन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी 75 प्रतिषत से अधिक आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। खाद्यान्न, फल, सब्जियों, मसालों और फूलों में बिहार का उत्पादक योगदान उन्नत विधियों और व्यवस्था प्रबंधन से कई गुना बढ़ सकता है। राज्य का कुल भौगो. लिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र है और सकल कृषि क्षेत्र 79.46 लाख हेक्टेयर है। लगभग 33.51 लाख हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्र और 43.86 लाख हेक्टेयर सकल क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई होती है। प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का और दालें हैं। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, आलू, तम्बाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और जूट हैं। इसने 6,764.14 वर्ग किमी का वन क्षेत्र अधिसूचित किया है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.1 प्रतिषत है।

राज्य समृद्ध जैव विविधता से संपन्न है। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कृषि कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति करती है। बिहार देष में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा और फलों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भारत में लीची, मखाना, अमरूद, भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य पहले से ही लीची, बासमती चावल और मटर का निर्यात करता है। मक्का, चावल और फल जैसे केला, आम, लीची और सब्जियों जैसे प्याज, टमाटर और बैंगन में इसकी प्रतिस्पर्धा है। उल्लेख करने की आवष्यकता नहीं है, कृषि उपज की उच्च, स्थिर और नियमित आपूर्ति प्राकृतिक भोजन, जैविक खेती, विपणन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

निस्संदेह, आधुनिक कृषि में बीज सबसे महत्वपूर्ण निवेष है। यह आधुनिक तकनीक का वाहक है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निवेष बढ़ाने की स्पष्ट आवष्यकता है। प्रचलित बीज प्रतिस्थापन दर जो चावल और गेहूं के मामले में 10 प्रतिषत से कम है, उच्च उत्पाद. कता वृद्धि दर को बनाए नहीं रख सकती है। इसलिए, बीज उत्पादन कार्यक्रम का उद्देष्य बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि, संकर बीजों और फसल किस्मों को बढ़ावा देना है, जो नए हैं और राज्य की कृषि–जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं।

कृषि विपणन स्पष्ट सीमाओं के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में रहा है। निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को बाजार स्थापित करने, बाय–बैक व्यवस्था करने और किसानों से सीधे खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस पेपर में 2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है और डेटा का उपयोग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) से किया गया है।

कुल उत्पादन (सभी मौसम): खाद्यान्न 000 टन

21 जून, 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2018–19 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन (सभी 000 टन में) 15600.1, अनाज 15146.6 और दालें 453.5 था, 2019–20 में खाद्यान्न 142333.0, अनाज 13898.6 और दालें 334.4.

वर्ष 2019–20 के दौरान, खाद्यान्न का कुल उत्पादन (सभी 000 टन में) 14233.0, अनाज 13898.6 और दालों का 334.4 था और 2020–21 में, सभी मौसमों का खाद्यान्न का कुल उत्पादन 15382.6, अनाज 15005.7 और दालों का 376.8 था।

2021–22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 17018.2 टन, अनाज 16630. 2 टन और दालों का 388.0 टन था।

कुल उत्पादन (सभी मौसम) गैर–खाद्य फसल तिलहन, जूट और मेस्टा

2018–19 में तिलहन का कुल उत्पादन 125.0 (टन), जूट 928.8 (प्रत्येक 180 किलोग्राम की 000 गांठें) और मेस्टा 155.7 (प्रत्येक 180 किलोग्राम की 000 गांठें) था और 2020–21 में तिलहन का उत्पादन 124.7 (टन) था। , जूट और मेस्टा क्रमशः 646.8 और 155.3 (प्रत्येक 180 किलोग्राम की 000 गांठें)।

2020–21 में सभी सीजन के तिलहन का कुल उत्पादन (000 टन) 124. 1, जूट और मेस्टा (180 किलोग्राम प्रत्येक की 000 गांठें) क्रमशः 618.3 और 169.2 था।

2021–22 में तिलहन उत्पादन 121.5 टन, जूट गांठें 180 किलोग्राम रहीं। प्रत्येक और मेस्टा 180 किलोग्राम की 138.8 गांठें।

मसालों और मसालों की सभी गैर–खाद्य फसलों का कुल उत्पादन 000 टन

22 जून 2022 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2018–19 में मसालों और मसालों के सभी मौसमों का कुल उत्पादन (000 टन में) 2.3 धनिया, 3.9 अदरक, 2.8 हल्दी और 27 लहसुन था।

2019–20 में धनिया 2.0, अदरक 3.3, हल्दी 2.9 और लहसुन 25 और 2020–21 में धनिया 2.1, अदरक 3.0, हल्दी 2.9 और लहसुन 26 का कुल उत्पादन (000 टन)।

जैविक खेती भारत

क्षेत्रः भारत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुसार, 2021–22 में खेती योग्य क्षेत्र (जैविक + रूपांतरण में) 4726714.74 हेक्टेयर, जंगली फसल संग्रह क्षेत्र 4393151.17 हेक्टेयर था। और कुल क्षेत्रफल 9119865.91 हेक्टेयर है।

उत्पादनः भारत में इसी अवधि के दौरान उत्पादन कृषि उत्प. ादन 3410195.02 मीट्रिक टन, जंगली फसल उत्पादन 20540. 63 मीट्रिक टन और कुल उत्पादन 3430735.65 मीट्रिक टन था।

संचालकः भारत में 2021–22 में व्यक्तिगत कृषि उत्पादक 4946, आईसीजी समूह 6921, प्रोसेसर 1780 और व्यापारी 742 थे। जंगली संचालक 84 (कुल संग्राहक 147360), कुल संचालक 14473 नहीं। कुल किसान 2480859 हैं।

जैविक निर्यातः भारत में 2021–22 में कुल निर्यात मात्रा 460320.40 मीट्रिक टन, कुल निर्यात मूल्य (INR) 5249.32 करोड़ और कुल निर्यात मूल्य (US$) 771.96 मिलियन था।

जैविक बिहार

2021–22 के दौरान जैविक प्रमाणन प्रक्रिया के तहत कुल क्षेत्रफल (खेती. जंगली फसल) 30941.01 हेक्टेयर था। वर्ष 2021–22 के लिए राज्यवार खेती योग्य कृषि क्षेत्र जैविक क्षेत्र 24.19 हेक्टेयर, रूपांतरण क्षेत्र 30916.83 हेक्टेयर और कुल क्षेत्रफल 30941.01 हेक्टेयर था। कुल जैविक कृषि उत्पादन 12.11 मीट्रिक टन था।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने तब से ''ऑर्गेनिक कॉरिडोर'' को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है:

– जैविक खाद्य उद्योग बढ़ रहा है और उच्च लाभप्रदता सुनिष्चित करते हुए बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

– बढ़ती आबादी और संसाधनों की घटती आपूर्ति के साथ खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने की जरूरत है, इसलिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन एक व्यवहार्य और टिकाऊ तरीके से।

– एक स्वच्छ और हरा–भरा पर्यावरण बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने की आवष्यकता है जिसे जैविक खेती के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

– स्वास्थ्य में सुधार की आवष्यकता है क्योंकि इसके सेवन से कैंसर, बांझपन जैसी कई बीमारियाँ हो सकती हैं जो शरीर में जहरीले अवषेषों के रहने पर होती हैं, इस प्रकार मनुष्यों और जानवरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

– पारंपरिक कृषि पद्धतियों के कारण होने वाले जोखिमों के कारण पर्यावरण और आजीविका के बीच संतुलन की हड़ताल बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी): आधार वर्ष 2011–12

बिहार ने 2021–22 में लगभग 11 प्रतिषत (10.98%) की वृद्धि हासिल करके भारत में सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक का स्थान प्राप्त किया है और षीर्ष पांच सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों (आंध्र प्रदेष 11.4% और राजस्थान 11.04%) में तीसरे स्थान पर है। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय विकास दर 8.68 प्रतिषत के मुकाबले। जीएसडीपी की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पषुधन और मछली पकड़ने और जलीय कृषि का रहा है, जिसमें क्रमषः 9.5% और 6.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई है।

12 सितंबर 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2018–19 में जीएसवीए मूल कीमतों पर 5103514.1 मिलियन रुपये, उत्पादों के कर 398096.8 मिलियन रुपये, उत्पादों पर सब्सिडी 221852.7 मिलियन रुपये, जीएसडीपी 5279758.2 मिलियन रुपये और प्रति व्यक्ति थी जीएसडीपी रु.44450.6।

2019–20 में जीएसडीए मूल मूल्य पर रु.5604659.0 मिलियन, उत्पादों के कर रु.442124.2 मिलियन, उत्पादों पर सब्सिडी रु.221618.7 मिलियन, जीएसडीपी रु.5825164.5 मिलियन और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु.48318.0।

जबकि 2020–21 में बुनियादी कीमतों पर जीएसवीए 5586179.9 मिलियन रुपये, उत्पादों के कर 525596.1 मिलियन रुपये, उत्पादों पर सब्सिडी 240232.1 मिलियन रुपये, जीएसडीपी 587543.9 मिलियन रुपये और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 47983.2 रुपये और 2021–22 में , GSVA Rs.6389787.1 मिलियन, उत्पादों का कर Rs.624827.3 मिलियन, उत्पादों पर सब्सिडी Rs.260124.0 मिलियन, GSDP Rs.6754480.3 मिलियन और प्रति व्यक्ति GSDP Rs.54383.2।

बैंक समूह द्वारा बैंकिंग कार्यालयों की संख्या: संख्या

3 अक्टूबर 2022 तक, 2018–19 में राज्य में बैंक समूह द्वारा बैंकिंग कार्यालयों की कुल संख्या 6917 थीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 4098, विदेषी बैंक एक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2104, निजी क्षेत्र के बैंक 560 और लघु वित्त बैंक 154।

2019–20 में, बैंकों की संख्या बढ़ गई थी और 7463 थीय सार्वजनिक क्षेत्र के 4128, विदेषी बैंक एक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2124, निजी क्षेत्र के बैंकों में 100 प्रतिषत से अधिक उछाल आया और 1029 रहे जबकि लघु वित्त बैंक 181 रहे।

वर्ष 2020–21 के दौरान बैंकों की कुल संख्या 7584 रहीय सार्वजनिक क्षेत्र 4140, एक विदेषी बैंक, 2124 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1130 निजी क्षेत्र के बैंक और 189 लघु वित्त बैंक। 2021–22 में बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 7640 हुईय सार्वजनिक क्षेत्र के 4139, विदेषी बैंक एक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2124, निजी क्षेत्र के बैंक 1147 और लघु वित्त बैंक 229।

आर्थिक गतिविधि द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण रु. मिलियन

19 अक्टूबर 2022 की जानकारी के अनुसार, 2018–19 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आर्थिक गतिविधि द्वारा वितरित कुल बैंक ऋण 1249949.4 मिलियन रुपये थाय कृषि 395978.3 मिलियन रुपये, उद्योग 146561.1 मिलियन रुपये, परिवहन ऑपरेटर 25109.7 मिलियन रुपये, पेषेवर और अन्य सेवाएं 69187.2 मिलियन रुपये, व्यक्तिगत ऋण 378520.7 मिलियन रुपये, व्यापार 176763.5 मिलियन रुपये, वित्त 14389.6 मिलियन रुपये और विविध रुपये 43439.4 मिलियन।

2019–20 में, कुल बैंक ऋण 1395899.2 मिलियन रुपये थाय कृषि 434597.8 मिलियन रुपये, उद्योग 141306.9 मिलियन रुपये, परिवहन ऑपरेटर 24866.3 मिलियन रुपये, पेषेवर और अन्य सेवाएं 77579.4 मिलियन रुपये, व्यक्तिगत ऋण 445369.0 मिलियन रुपये, व्यापार 206702.9 मिलियन रुपये, वित्त 32284.3 मिलियन रुपये और विविध रुपये। 33192.7 मिलियन।

जबकि 2020–21 में कुल बैंक ऋण 1639643.0 मिलियन रुपये थाय कृषि 496051.2 मिलियन रुपये, उद्योग 186830.9 मिलियन रुपये, परिवहन ऑपरेटर 22783.3 मिलियन रुपये, पेषेवर और अन्य सेवाएं 69280.8 मिलियन रुपये, व्यक्तिगत ऋण 533656.3 मिलियन रुपये, व्यापार 256202.5 मिलियन रुपये, वित्त 44819.0 मिलियन रुपये, और विविध रुपये .30019.2 मिलियन ।

2021–22 में वितरित कुल बैंक ऋण 1955922 मिलियन रुपये थाय कृषि रु.543797.8 मिलियन, उद्योग रु.244211.1 मिलियन, परिवहन ऑपरेटर रु. 21756.0 मिलियन रुपये, पेषेवर और अन्य सेवाएं 72052.5 मिलियन रुपये, व्यक्तिगत ऋण 653230.3 मिलियन रुपये, व्यापार 320598.6 मिलियन रुपये, वित्त 58400.8 मिलियन रुपये और विविध 41875.8 मिलियन रुपये।

पर्यटन क्षेत्र

पर्यटन पिछले कुछ दषकों में कई देषों/राज्यों के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला एक आर्थिक बूस्टर बन गया है। लोग छुट्टियों को एक आवष्यकता के रूप में देखते हैं, न कि वर्तमान परिदृष्य में एक विलासिता के रूप में। पर्यटन ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटकों के बीच समन्वय और सहयोग की मांग करता है। पर्यटन के कुछ प्रमुख तत्व हैं–गंतव्य, आकर्षण, स्थल, आवास और सभी सहायक सेवाएं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इसमें पर्यटन स्थलों का अध्ययन, दौरे की योजना बनाना, यात्रा की व्यवस्था करना और आवास प्रदान करने जैसी कई गतिविधियों का प्रबंधन षामिल है। इसमें विषेष स्थलों की यात्रा के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विपण न प्रयास भी षामिल हैं। मात्र यात्रा और पर्यटन में सूक्ष्म अंतर है।

बिहार में 2014 से 2019 तक पर्यटन की संचयी औसत विकास दर लगभग 95 प्रतिषत है। घरेलू पर्यटन के मामले में बिहार देष में 30वें और विदेषी पर्यटकों के मामले में 8वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास को विषेष महत्व दिया है, इस उद्योग को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को बिहार के 10 प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक के रूप में मान्यता दी है।

बिहार में सैकड़ों पर्यटन स्थलों को वैष्विक पर्यटकों के लिए अनुभवों के आकर्षण बिंदु के रूप में बेहतर/विकसित करने की आवष्यकता है, यह तभी संभव हो सकता है जब पर्यटन उत्पादों को विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि और क्षमता रखने वाले उद्यमियों की एक श्रेणी आगे आए और चुनौतियों को सही भावना से ले।

बिहार में 45103 गाँव हैं, जिनमें समृद्ध प्राकृतिक स्थल, तीर्थस्थल विष्व स्तरीय योग केंद्र, प्रागैतिहासिक स्थल, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विष्टि व्यंजन, भोजन और समृद्ध परंपरा कला और षिल्प के त्योहार हैं।

इस परिवर्तनशील समय में निर्यात के लिए दोहरा बीमा

Double assurance for exports in these volatile times.

निर्यातकों के लिए ऋण जोखिम बीमा
Credit Risk Insurance for Exporters

एवं /&

बैंकों के लिए ऋण जोखिम बीमा
Credit Risk Insurance for Banks

आर्थिक अस्थिरता के इस समय में निर्यात के अनुकूल ईसीजीसी के साथ ऋण जोखिम का बीमा कराएं।

In these times of economic instability, insure against credit risk with ECGC's export-friendly credit risk covers.

अधिक जानकारी के लिए ईसीजीसी के निकटतम कार्यालय से संपर्क करें।

For more information contact your nearest ECGC office.

ई सी जी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1 से 45, एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069, महाराष्ट्र, भारत
टेली : 6659 0500 / 6659 0510 • **टोल फ्री :** 1800-22-4500
ईमेल : marketing@ecgc.in • **वेबसाइट** : www ecgc in

ECGC Limited
(A Government of India Enterprise)
Registered Office : ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M. V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069, Maharashtra, India
Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • **Toll Free :** 1800-22-4500
Email : marketing@ecgc.in • **Website** : www.ecgc.in

IRDAI Regn. No. 124 | CIN No. U74999MH1957GOI010918 | @ecgclimited

ADVT. NO. : NMD/197/214

आप निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे. • You focus on exports. We cover the risks.

बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, रमनयन सर्किट, सूफी सर्किट, गांधी सर्किट और इको सर्किट के रूप में वर्गीकृत पर्यटन सर्किट पहले से ही अच्छी तरह से परिभाषित और पहचाने गए पर्यटन सर्किट हैं। बिहार के पास पर्याप्त संसाधन हैं जिनका दोहन किया जा सकता है यदि विष्व स्तर के पर्यटन उत्पाद में षालीनता से पैक किया जाए तो यह नए युग के पर्यटकों की रुचि को आकर्षित कर सकता है। इन स्थानों को निम्न. लिखित में पुनर्पैकेज किया जा सकता हैः

– विरासत पर्यटन
– धार्मिक पर्यटन
– स्वास्थ्य पर्यटन
– गंगा नदी पर क्रूज
– गंगा डॉल्फिन घड़ी
– कला, षिल्प और ग्रामीण पर्यटन

अधिकाष अध्ययनों में यह महसूस किया गया है कि बिहार पर्यटन में ग्रामीण इलाकों की प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सहायक सामाजिक–आर्थिक उपक्रम के रूप में फलने–फूलने की अपार संभावनाएं हैं, जो बिहार के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन ऐसा सपना साकार हो सकता है। केवल तभी जब ग्रामीण पर्यटन के मुद्दे को उद्यमियों द्वारा एक नवोन्मेषी रणनीतिक विपणन प्रयास के रूप में लिया जाएगा।

ग्रामीण पर्यटन

बिहार में ग्रामीण पर्यटन उद्यमियों की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार को ग्रामीण पर्यटन को उद्यमी उत्साह के साथ अपनाने वालों की मदद करने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आगे आना चाहिए।

– ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए एक सुनियोजित नीतिगत ढांचा।

– पर्यटन अध्ययन के लिए षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों की स्थापना।

– किसी पर्यटन स्थल की वहन क्षमता के निर्धारण के अनुरूप पर्यटकों की विषिष्ट श्रेणियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन उत्पादों को तैयार करना।

– ग्रामीण पर्यटन के लिए सर्किट घोषित और विकसित करना।

– सामान्य के साथ–साथ पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास करना।

– बिहार में ग्रामीण पर्यटन के जबरदस्त अवसरों को सुर्खियों में लाने के लिए स्थानीय और बाहरी मीडिया को षामिल करते हुए एक प्रभावी पर्यटन नीति अभियान अपनाएं।

यदि ये उपाय किए जाते हैं, तो बिहार में पर्यटकों की आमद में 200 प्रतिषत की वृद्धि होगी, और 5 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और 6 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार 2019 में राज्य में कुल पर्यटकों की संख्या 35083179 थी; घरेलू 33990038 और विदेषी 1093141। 2020 में कुल दौरे 5946104 हुए; घरेलू 5638024 और विदेषी 308080 और 2021 में कोविड–19 के कारण यह संख्या कम होकर 2502239 पर पहुंच गई है; घरेलू 2501193 और विदेषी 1046।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षणः कारखानों की संख्याः सभी उद्योग

2018–19 के दौरान, 3422 कारखाने थे और 2019–20 में, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 3429 कारखाने थे।

भंडारः कोयला 000 टन

2018–19 में कोयला भंडार (000 टन) 1834000.0 और 2019–20 में कोयला भंडार 2751410.0 (000 टन) बताया गया था।

सभी परियोजनाओं द्वारा निवेष रु. मिलियन

सीएमआईई (12 अक्टूबर 2023 तक) के अनुसार, 2018–19 में घोषित नई निवेष परियोजनाएं 314025.4 मिलियन रुपये की थीं, पूरी की गई निवेष परियोजनाएं 80094.6 मिलियन रुपये की थीं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएं 4344911.5 मिलियन रुपये और उससे कम थीं। 3150521.8 मिलियन रूपये का कार्यान्वयन।

वर्ष 2019–20 के दौरान, घोषित नई निवष परियोजनाएं 169178.6 मिलियन रुपये की थीं, निवेष परियोजनाएं 55745.8 मिलियन रुपये की पूरी हुईं, 8663.4 मिलियन रुपये की निवेष परियोजनाएं पुनर्जीवित हुईं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएं 4628453.8 मिलियन रुपये की थीं और कार्यान्वयन के तहत थीं 2367553.6 मिलियन रु.

वर्ष 2020–21 में घोषित नई निवेष परियोजनाएं 89337.6 मिलियन रुपये की थीं, निवेष परियोजनाएं 253933.7 मिलियन रुपये की पूरी हुईं, 10982.7 मिलियन रुपये की निवेष परियोजनाएं पुनर्जीवित हुईं, कुल निवेष परियोजनाएं 4313276.7 मिलियन रुपये की बकाया थीं और कार्यान्वयन के तहत थीं। 3198185.8 मिलियन रूपये की। और 2021–22 में, घोषित की गई नई निवेष परियोजनाएं 135919.1 मिलियन रुपये की थीं, पूरी की गई निवष परियोजनाएं 154922.2 मिलियन रुपये की थीं, निवेष परियोजनाएं 18411.8 मिलियन रुपये की थीं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएं 3990498.0 मिलियन रुपये और उससे कम थीं। कार्यान्वयन रु. 3194397.3 मिलियन।

वर्ष 2022–23 के दौरान, घोषित नई निवेष परियोजनाएं 54705.8 मिलियन रुपये की थीं, पूरी की गई निवष परियोजनाएं 226667.5 मि. लियन रुपये की थीं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएं 3775062.7 मिलियन रुपये की थीं और कार्यान्वयन के तहत 3176771.8 मिलियन रुपये की थीं।

सरकार द्वारा निवेष रु. मिलियन

नवीनतम जानकारी के अनुसार (12 अक्टूबर 2023 तक) 2018–19 में सरकार द्वारा घोषित नई निवेष परियोजनाएँ 248866.0 मिलियन रुपये की थीं, 63617.1 मिलियन रुपये की पूर्ण परियोजनाएँ थीं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएँ 3702986.9 मिलियन रुपये की थीं और 2885461.2 मिलियन रुपये के कार्यान्वयन के तहत, और 2019–20 में, नई परिया. `जनाएं 135665.0 मिलियन रुपये की थीं, 40313.0 मिलियन रुपये की पूर्ण परियोजनाएं, 5663.4 मिलियन रुपये की पुनर्जीवित परियोजनाएं, कुल बकाया परियोजनाएं 4043627.9 मिलियन रुपये की थीं। और 2090293.3 मिलियन रुपये के कार्यान्वयन के तहत।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, नई परियोजनाएं 68676.2 मिलियन रुपये की थीं, 231553.7 मिलियन रुपये की पूर्ण परियोजनाएं, 10982.7 मिलियन रुपये की पुनर्जीवित परियोजनाएं, कुल बकाया निवेष परिया. `जनाएं 3794946.9 मिलियन रुपये की थीं और कार्यान्वयन के तहत 2903863.3 रुपये की परियोजनाएं थीं। दस लाख।

2021–22 में, सरकार ने 58720.0 मिलियन रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की, 146592.3 मिलियन रुपये की पूर्ण, 18411.8 मिलियन रुपये की पुनर्जीवित परियोजनाएं, कुल बकाया निवष परियोजनाएं 3394189.2 मिलियन रुपये की थीं और 2813119.7 मिलियन रुपये के कार्यान्वयन के तहत थीं।

2022–23 में, घोषित नई निवेष परियोजनाएं 27856.4 मिलियन रुपये की थीं, पूरी परियोजनाएं 224511.0 मिलियन रुपये की थीं और कुल बकाया निवष परियोजनाएं 3179266.2 मिलियन रुपये की थीं और कार्यान्वयन के तहत 2763445.1 मिलियन रुपये की थीं।

निजी क्षेत्र द्वारा निवेष रु. मिलियन

2018–19 में, नई परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का निवेष 65159.4 मिलियन रुपये था, 16477.5 मिलियन रुपये की पूर्ण परियोजनाएं थीं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएं 632219.6 मिलियन रुपये थीं और कार्यान्वयन के तहत 255355.6 मिलियन रुपये थीं और 2019–20 में , घोषित नई निवष परियोजनाएं 32983.6 मिलियन रुपये की थीं, निवेष परियोजनाएं 15432.8 मिलियन रुपये की पूरी हुईं, निवष परिया. `जनाएं 3000.0 मिलियन रुपये की थीं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएं 574590.9 मिलियन रुपये थीं और कार्यान्वयन के तहत 257555.3 मिलियन रुपये थीं।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, घोषित नई निवेष परियोजनाएं 20661.4 मिलियन रुपये की थीं, 22380.0 मिलियन रुपये की परियोजनाएं पूरी हुईं, कुल बकाया निवष परियोजनाएं 508094.8 मिलियन रुपये थीं और कार्यान्वयन के तहत 284087.5 मिलियन रुपये की परियोजनाएं थीं।

2021–22 में घोषित नई निवेष परियोजनाएं 77199.1 मिलियन रुपये की थीं, पूरी की गई परियोजनाएं 8329.9 मिलियन रुपये की थीं, कुल बकाया परियोजनाएं 586073.8 मिलियन रुपये की थीं और कार्यान्वयन के तहत 371042.6 मिलियन रुपये की थीं।

2022–23 में घोषित नई निवेष परियोजनाएं 26849.4 मिलियन रुपये की थीं, पूर्ण परियोजनाएं 2156.5 मिलियन रुपये की थीं, कुल बकाया निवेष परियोजनाएं 595056.5 मिलियन रुपये की थीं और कार्यान्वयन के तहत 412586.7 मिलियन रुपये की थीं।

भारतीय रुपये लाख में एफडीआई प्रवाह

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (24 मई 2022) के अनुसार, 2020–21 के दौरान एफडीआई प्रवाह 3320 मिलियन रुपये और 2021–22 में 8772.9 मिलियन रुपये था।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत कंपनियों की बकाया संख्याः संख्या

2018–19 में, 32176 पंजीकृत कंपनियां थीं, सक्रिय 22098, 6798 बंद, कंपनी अधिनियम 2013 25 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय, परिसम. ापन 41 के तहत और 3211 को हटा दिया गया।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 21 अप्रैल 2022 तक की जानकारी के अनुसार, 36429 पंजीकृत कंपनियाँ थीं; 22945 सक्रिय, 8819 बंद, 27 निष्क्रिय, 41 परिसमापन के तहत और 3597 को बंद करने की प्रक्रिया के तहत, और 2020–21 में 42043 पंजीकृत, 29524 सक्रिय, 8969 बंद, 28 निष्क्रिय, 41 परिसमापन के तहत और 3481 की प्रक्रिया के तहत बंद मारा।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ नव पंजीकृत कंपनियों की संख्या

24 जून 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2018–19 में, नई पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या 3896, 2019–20 में 4242, 2020–21 में 5612 और 2021–22 में 5742 थी।

प्रमुख वस्तुओं का भारतीय रुपये में निर्यात (DGCI&S) मिलियन रु.

1 जुलाई 2022 को उपलब्ध सूचना के अनुसार 2018–19 में सभी वस्तुओं का निर्यात 114654.8 मिलियन रुपये था; पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद रु.77602.8 मिलियन, गैर–पेट्रोलियम उत्पाद कृषि और संबद्ध उत्पाद रु.24805.6 मिलियन, अयस्क और खनिज रु.829.7 मिलियन, निर्मित माल रु.10819.6 मिलियन और अन्य वस्तुएँ रु.597.2 मिलियन।

2019–20 में, सभी वस्तुओं का निर्यात 117641.2 मिलियन रुपये था; पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद रु.75230.4 मिलियन, गैर–पेट्रोलियम उत्पाद कृषि और संबद्ध रु.29154.9 मिलियन, अयस्क और खनिज रु.465.1 मिलियन, निर्मित माल रु.12339.6 मिलियन और अन्य वस्तुएं रु.451.3 मिलियन। 2020–21 में, टीपी महामारी के कारण, निर्यात गिर गया था और सभी वस्तुओं का निर्यात 111907.2 मिलियन रुपये था; पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद 49033.8 मिलियन रुपये, गैर–पेट्रोलियम उत्पाद कृषि और संबद्ध उत्पाद 50518.4 मिलियन रुपये, अयस्क और खनिज रुपये 229.8 मिलियन, निर्मित सामान 11567.8 मिलियन रुपये और अन्य वस्तुएं 557.4 मिलियन रुपये।

सभी वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 172196.3 मिलियन रुपये तक पहुंच गया है; पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद 96368.3 मिलियन रुपये, गैर–पेट्रोलियम उत्पाद कृषि और संबद्ध उत्पाद 60135.0 मिलियन रुपये, अयस्क और खनिज रुपये 486.8 मि. लियन, निर्मित सामान 14183.5 मिलियन रुपये और अन्य वस्तुएं 1022.8 मिलियन रुपये।

एमएसएमई सेक्टर

रोजगार सृजन के मामले में बिहार में एमएसएमई सेक्टर कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का लगभग 95% और विनिर्माण उत्पादन का 65% हिस्सा है। राज्य सरकार की अत्यधिक विकासोन्मुख नीति के कारण, एमएसएमई के पास उच्च औद्योगिक विकास हासिल करने के लिए सहायक उद्योगों के रूप में विकसित होने के अधिक अवसर हैं। हाल के वर्षों के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था ने राज्य के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ाने में, लाखों लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने में योगदान देकर सराहनीय विकास प्रदर्शन दिखाया है। त्वरित और उचित राजकोशीय प्रोत्साहन, प्रभावी मौद्रिक नीति और भारी पूंजी प्रवाह ने अर्थव्यवस्था की वापसी की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में एमएसएमई इकाइयों के आकार और संरचना, उत्पादों और सेवाओं की विविधता, उत्पादन के पैमाने और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संदर्भ में कपड़े की एक विषम और विविध प्रकृति की पेशकश करते हैं। वे राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिहार में एमएसएमई कुल उद्योगों का लगभग 95% हिस्सा है और 4700 से अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करता है।

विकास की संभावनाएँः अवसर

एमएसएमई ने राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उच्च औद्योगिक विकास हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में सहायक उद्योगों के रूप में विकसित होने के अधिक अवसर हैं। कम पूंजी गहन और अधिक रोजगार अनुकूल होने के कारण एमएसएमई को क्लस्टर कार्यक्रमों के तहत कच्चे माल, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों तक आसान पहुंच होती है। राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में उद्यमों की क्षमता बनाने और बढ़ाने की विशाल विकास क्षमता है। अधिक औद्योगिक विकास हासिल करने के लिए आगे बढ़ने के अपार अवसर मौजूद हैं। इसलिए, इस क्षेत्र का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समावेशी विकास की कुंजी रखता है और राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौकरी के प्रचुर अवसर, छोटी और बड़ी कंपनियों/कॉर्पोरेट घरानों के साथ एक मजबूत निजी क्षेत्र के उद्भव और उपभोक्तावाद में उच्च वृद्धि के कारण एमएसएमई ने बुनियादी ढांचे में तेजी से निवश आकर्षित किया है।

बिहार में एमएसएमई हमारी औद्योगिक इकाइयों के एक बड़े हिस्से के लिए लेखांकन करके निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, ठेकेदारों और सेवा प्रदाता के रूप में लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला को खिलाते हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए एक सहायक नीति ढांचा, मानव संसाधनों का एक सक्षम पूल, नवीनतम प्रौद्योगिकी और नए नवाचारों का अनुप्रयोग, पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय बाजार लिंकेज और द्विपक्षीय व्यापार समझौते आदि भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। उभरती चुनौतियों का समाधान करना और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करना। वास्तव में, एमएसएमई विकास के रोडमैप में राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की हिस्सेदारी में वृद्धि, रोजगार सृजन में 50% तक की पर्याप्त वृद्धि, प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एमएसएमई योगदान में वृद्धि का लक्ष्य शामिल होना चाहिए। बढ़ती घरेलू मांग, स्वदशीकरण और महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन और विदेशी निर्यात में वृद्धि को पूरा करके।

राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका और रणनीतिक महत्व के बावजूद, एमएसएमई क्षेत्र कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई प्रमुख मुद्दों को ठीक से संबोधित किया जाना बाकी है और सतत औद्योगिक विकास के हित में उपाय किए जाने बाकी हैं। इसमे शामिल हैः

– वित्तपोषण के स्रोत के रूप में इक्विटी का कम उपयोग किया जाता है और उद्यम पूंजी और एंजेल निवशकों द्वारा निवेश का प्रचलन कम है।

– एमएसएमई को अपने खरीदारों से विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ता है जो उनकी कार्यशील पूंजी के साथ–साथ उत्पादन के अगले चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

– एमएसएमई के पास सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है।

– वित्तीय संस्थानों/बैंकों को एमएसएमई के ऋण जोखिम मूल्यांकन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

– बैंक द्वारा उपलब्ध क्रेडिट गारंटी और बीमा योजनाओं का उपयोग कम रहा है।

जनसंख्या और परिवारों की विषेषताएंः कुल (1.3.2022 की स्थिति के अनुसार)

		इकाई	2015-16	2020-21
1.	जनसंख्या और परिवारों की विशेषताएं: कुल (1.3.2022 की स्थिति के अनुसार)	%	39.3	36.4
2.	लिंग अनुपात	per 1000 males	1062.0	1090.0
3.	पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंगानुपात	per1000 males	934.0	908.0
4.	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे नागरिक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत	%	60.7	75.6
5.	पिछले 3 वर्षों में मृत्यु जिनका जन्म नागरिक प्राधिकरण के पास था	%	-	37.1
6.	**इसके साथ या उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या:**			
	I. बिजली II. पेयजल स्रोत में सुधार III. बेहतर स्वच्छता सुविधा IV. खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन V. आयोडीन युक्त नमक	% % % % %	60 98.4 26.5 17.8 93.6	96.3 99.2 49.4 37.8 94.3

एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोषन काउंसि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिषील क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। यह उद्यम षीलता को बढ़ावा देकर और कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर सबसे बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके देष के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगा. के पूरक हैं और यह क्षेत्र समावेषी औद्योगिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र के सषक्तिकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एमएसएमई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने दायरे का विस्तार कर रहे हैं, घरेलू और वैष्विक बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। एमएसएमई उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रो (विनिर्माण और सेवाएं) का मतलब 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार, 50 करोड़ रुपये तक का छोटा कारोबार और 250 करोड़ रुपये का मध्यम का. रोबार है। देष के भौगोलिक विस्तार में लगभग 63.4 मिलियन इकाइयों के साथ, एमएसएमई विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 6.11: से अधिक और सेवा गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद में 24.63: के साथ–साथ भारत के विनिर्माण उत्पादन में 33.4: का योगदान देता है। अखिल भारतीय निर्यात में निर्दिष्ट एमएसएमई से संबंधित उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 2020–21 में लगभग 50: है।

एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद, एक गैर–लाभकारी संगठन, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी कानून की धारा 8 के रूप में षामिल किया गया है। परिषद को ज्ञान के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह इन इकाइयों की सहायता, प्रचार और प्रोत्साहन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संघों के साथ मिलकर काम करती है।

सेवाओं और गतिविधियों का फोकस उद्यम षीलता कौषल विकास, प्रषिक्षण, विभिन्न कानूनों पर ज्ञान को समृद्ध करना, विषेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और एससी–एसटी समुदायों में महिला उद्यम षीलता को बढ़ावा देना, उन्हें ज्ञान डिजिटल फर्मों, फिनटेक कंपनियों और आयातकों के साथ जोड़ना है। निर्यातक, आदि

****

कंफेडरेषन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज

कंफेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज, 2018 में स्थापित, खरीदारोंधविक्रेताओं, प्रमाणित एजेंसियों, बीज आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों और अन्य हितधारकों की छत्र संस्था है। परिसंघ का उद्देश्य है:

– प्रकृति–अनुकूल, वैज्ञानिक, कृषि प्रणालियों और प्रथाओं को बढ़ावा देना जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य, ऊर्जा कुशल, जलवायु अनुकूल हों।
– साथ ही स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान, कौशल और प्रथाओं पर निर्माण करते हुए पर्यावरण के संरक्षण और ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण की ओर उन्मुख।
– जैविक खेती कैसे करें, इस पर किसानों की सहायता / मार्गदर्शन करें, विभिन्न माध्यमों से अनुभवी परिवारों या किसानों से व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संक्रमणकालीन जैविक खेती में लगे किसानों की सहायता करें।
– पारंपरिक रासायनिक कृषि के निर्धारकों और परिणामों के बारे में उपभोक्ताओं के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना।
– जैविक खेती आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य जैविक खेती संघों, किसान संघों के साथ मिलकर काम करना।
– पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करना, किसानों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शन के लिए ले जाना, क्रेता/विक्रेताओं की बैठक आयोजित करना, जिससे उन्हें सीधे मदद मिलेगी।
– जैविक खाद्य उद्योग के लिए अनुकूल माहौल के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पैरवी करना।

उल्लेखनीय है कि जैविक खेती करने वाले 187 देशों में भारत अद्वितीय स्थान रखता है। भारत दुनिया के कुल जैविक उत्पादकों में से 30 प्रतिशत का घर है, जिसका क्षेत्रफल 2.30 मिलियन हेक्टेयर है।

भारत में जैविक खेती की तत्काल आवष्यकता है:

' जैविक खाद्य उद्योग बढ़ रहा है और उच्च लाभप्रदता सुनिश्चित करते हुए बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
' बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की घटती आपूर्ति के साथ खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है
' स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए, पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने की आवश्यकता है।
' स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इसके सेवन से कई बीमारियाँ हो सकती हैं।
' पर्यावरण और आजीविका के बीच संतुलन बनाएं।

****

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

Utkarsh Small Finance Bank

Aapki Ummeed Ka Khaata

(A Scheduled Commercial Bank)

RETAIL LOANS

Get Fast, Fair and Affordable Loans for all your Business & Personal Needs.

Enjoy Hassle-Free Documentation and Quick Processing.

KEY BENEFITS*

- Avail competitive interest rates.
- Convenient repayment options ranging from 1 year to 10 years.
- Low processing fee and no hidden cost.
- Both collateral and collateral-free loans available.

*T&C Apply.

www.utkarsh.bank | Toll Free : 1800-123-9878 |